	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 21, शुक्रवार, शाके 1936–सितम्बर 12, 2014 *Bhadra 21, Friday, Saka 1936-September 12, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 12, 2014

No. F. 2 (58) Vidhi/2/2013.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2014 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2013
(Act No. 16 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2014]

An
Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 40-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 40 and before the existing section 41 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the following new section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:-

"**40-A. Power to grant exemption from market fee.-** If the State Government is satisfied that it is expedient

in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, whether prospectively or retrospectively, any licensee or class of licensees specified in the notification from payment of market fee payable on any agricultural produce bought or sold by him in the market area, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.".

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2014

संख्या प. 2 (58) विधि/2/2013.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2013 (एक्ट नं. 16 ऑफ 2014)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2014 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं.38 में धारा 40-क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं.38) की विद्यमान धारा 40 के पश्चात् और विद्यमान धारा 41 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी और सदैव अन्त:स्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:-

"**40-क. मण्डी फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति.-** यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग को, मण्डी क्षेत्र में उसके द्वारा क्रय की गयी या विक्रय की गयी किसी भी कृषि उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय से, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, छूट प्रदान कर सकेगी।"।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।